गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

क्र./1396/स्था./प्रशासन/2001 बिलासपुर, दिनांक 10.08.2001

आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की स्थगित आपात बैठक दिनांक 09.08.2001 के पद क्रमांक-1 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक: 22-1973) की धारा -49 के प्रावधानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुये चयन समिति द्वारा व्याख्याता के लिये अनुशंसित गुणानुक्रम के सरल क्रमांक-2 में दर्शित श्री मनीष श्रीवास्तव को प्रौद्योगिकी संस्थान (कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग) में वेतनमान रू. 8000-275-13500/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर व्याख्याता के पद पर नियुक्त किया जाता है।

इनका वेतन मूलभूत नियमों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

इनकी सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम-31 एवं अध्यादेश क्रमांक-4 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होंगी ।

इन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत भत्ते देय होंगे ।

इस मद में होने वाला व्यय स्ववित्तीय योजना के प्रौद्योगिकी संस्थान के बजट से विकलनीय होगा।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार
(फणीभूषण त्रिवेदी)
कुलसचिव

पृ.क्रमांक/1397/स्था./प्रशासन/2001 बिलासपुर, दिनांक 10.08.2001

प्रतिलिपि -

1. श्री मनीष श्रीवास्तव, कम्प्यूटर सेंटर, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर आवश्यक रूप से अपना कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही मुख्य चिकित्सक या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र, आयु संबंधी मूल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता/पात्रता प्रमाण पत्र, यदि सेवा में हों तो नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा ।

CTC

..2